झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

पत्रांक : प0नि0वि0–09 / विविध–29 / 2016 4334(S) WR   दिनांक : 25/XI/22

प्रेषक,

संजय कुमार साह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड।

विषय : दिनांक 26.11.2022 को संविधान दिवस मनाने के संबंध में।

प्रसंग : मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड सरकार का पत्रांक 1364, दिनांक 17.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में प्रासंगिक पत्र की सानुलग्नक छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

अनु0 : यथोक्त।

25/XI/22
(संजय कुमार साह)
सरकार के उप सचिव।
25/XI/22

Scanned by CamScanner

पत्रांक– 04/म0म0स0–समारोह (संविधान दि0)–04/2016 (खण्ड–1) 1364

झारखण्ड सरकार,

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधन सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव
सरकार के सभी प्रधान सचिव
सरकार के सभी सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक
सभी पुलिस अधीक्षक
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 17 नवम्बर, 2022ई0।

विषय :– **दिनांक 26.11.2022 को "संविधान दिवस" मनाने के संबंध में।**

प्रसंग:– मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार का अ0स0पत्रांक–701/2/2/2022-CAV दिनांक 07.11.2022

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में इस वर्ष **"संविधान दिवस"** के अवसर पर दिनांक **26.11.2022 को पूर्वाह्न 11:00** बजे राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, स्वायतशासी निकायों/ संगठनों, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना पठन किया जाना है।

2. राज्य सरकार के सभी विभाग उक्त तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे अपने नियंत्रणाधीन निदेशालयों/ कार्यालयों/ स्वायतशासी निकायों/ संगठनों/ स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थानों में भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन सुनिश्चित करायेंगे। पुलिस महानिदेशक इस हेतु अपने स्तर से आवश्यक दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

3. जिला स्तर पर दिनांक 26.11.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भारत के संविधान की प्रस्तावना के पठन हेतु उपायुक्त/ वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि इससे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन,

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव

अनु0– यथोक्त।

Scanned by CamScanner

Pr. Secy Cabinet Coordination 64

250

राजीव गौबा
Rajiv Gauba

(1) Issue necessary instructions
(2) Prog may be organised in Project/ Nepal House/ etc.

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

D.O. No. 701/2/2/2022-CA.V

Dated, 7th November, 2022

Dear Chief Secretary

Chief Secretary
Jharkhand, Ranchi

As you are aware, 26th November is celebrated as Constitution Day to commemorate the adoption of the Constitution of India. As part of the celebrations, a number of activities aimed at highlighting and reiterating the values and principles enshrined in the Constitution are organised every year.

2. An important part of the celebrations is the reading of Preamble to the Constitution and reaffirming our commitment to uphold its ideology. Like previous years, it is requested that all offices of the State Government, Autonomous Bodies, organisations, Local Self Government institutions, educational institutions etc. may organise reading of the Preamble at 11 AM on 26th November from their respective offices / locations.

3. Other activities including Talks / Webinars on constitutional values and fundamental principles of the Indian Constitution may also be organised.

4. I would request you to kindly take necessary actions as indicated above and intimate the action taken to Department of Social Justice and Empowerment which is coordinating the activities relating to the Constitution Day.

With regards

Yours sincerely,

(Rajiv Gauba)

मुख्य सचिव कार्यालय
झारखण्ड, रांची
प.सं.प्र.सं....5983......
तिथि...09/11/2022.....

To,
Chief Secretaries of all States

Scanned by CamScanner

150

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Scanned by CamScanner